**बिहार सरकार**
**गन्ना उद्योग विभाग**

**–::कार्यालय आदेश::–**

का०आ०सं०–01 / स्था०राज०–337 / 2025– पटना, दिनांक सितम्बर, 2025

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–3(3)(ख) के तहत गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक–26.08.2025 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर ईख प्रसार पदाधिकारी के रिक्त पदों पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ–7 में अंकित कार्यालय में संविदा के आधार पर ईख प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियोजित किया जाता है:–

| क्र० सं० | नाम | पदनाम | कोटि क्रमांक | जन्म तिथि | सेवानिवृत्ति की तिथि | नियोजन का विभाग / कार्यालय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री महेन्द्र राय, पिता–श्री कपिलदेव राय, पता–ग्राम–मधुवन सुरज, पोस्ट–नरहर, बल्थी, थाना–साहेबगंज, मुजफ्फरपुर, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 08.07.1963 | 31.07.2023 | **सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।** |
| 2 | श्री धिरज कुमार, पिता–स्व० बिन्देश्वरी लाल, पता–बी.एच. कॉलोनी, भुतनाथ रोड, पोस्ट–अगमकुंआ, पटना, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 05.12.1962 | 31.12.2022 | **सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर।** |
| 3 | श्री विजय कुमार पासवान, पिता–राम इकबाल पासवान, पता–ग्राम–मानसर, पोस्ट–कुमना, थाना–कोपा, सारण, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | अनुसूचित जाति | 02.05.1964 | 31.05.2024 | **सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान।** |
| 4 | श्री संजय कुमार शर्मा, पिता–जयमंगल राय, पता–ददिया, पोस्ट– जर्नादनपुर, थाना– कल्याणपुर, समस्तीपुर, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | गैर आरक्षित | 04.01.1965 | 31.01.2025 | **सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर।** |
| 5 | श्री दिलीप कुमार सिंह, पिता–श्री अशर्फी लाल सिंह, पता–ग्राम–वार्ड संख्या–4, माधोपुर, भोआल, मधुरापुर, कल्याणपुर, समस्तीपुर, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | गैर आरक्षित | 20.06.1964 | 30.06.2024 | **सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी।** |
| 6 | श्री अशोक कुमार सिंह, पिता–श्री जनार्द प्रसाद सिंह, पता–3बी नमन विला, अपार्टमेंट , पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना सदर, पटना, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | गैर आरक्षित | 15.12.1962 | 31.12.2022 | **सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी।** |
| 7 | श्री राम कुमार मिश्रा, पिता–स्व० कौशल किशोर मिश्रा, पता– ग्राम–बाजितपुर, मंझौलिया, पोस्ट+थाना–बोचहन, जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | गैर आरक्षित | 06.08.1963 | 31.08.2023 | **सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतीहारी।** |
| 8 | श्री बैद्यनाथ साहु, पिता– श्री बृजनंदन प्रसाद साहु, पता– वार्ड संख्या–7, ग्राम+पोस्ट–मंदा, मौजा, समस्तीपुर, बिहार | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 25.02.1962 | 28.02.2022 | **सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतीहारी।** |

Hall

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | श्री रामपुकार पासवान, पिता–श्री जगपत पासवान, पता–मधुबन रोड, चकमहिला वार्ड संख्या–21, पोस्ट– चकमहिला, थाना+जिला–सीतामढ़ी, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | अनुसूचित जाति | 15.06.1965 | 30.06.2025 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया। |
| 10 | श्री दिनेश प्रसाद सिंह, पिता–स्व० सउदी सिंह, पता–ग्राम+पोस्ट– खानवान, नवादा बिहार | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | गैर आरक्षित | 06.06.1964 | 30.06.2024 | सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर। |
| 11 | श्री अवधेश कुमार, पिता– श्री मोहित लाल साह, पता–ग्राम–दुम्मा, पोस्ट– हिरौता दुम्मा, शिवहर, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | पिछड़ा वर्ग | 05.09.1964 | 30.09.2024 | सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर। |
| 12 | श्री अभय कुमार, पिता–श्री हुलस राय, पता–ग्राम–रामपुर, मंगुआ, पोस्ट+थाना–सरैया, मुजफ्फरपुर, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | पिछड़ा वर्ग | 26.06.1964 | 30.06.2024 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज। |
| 13 | श्री उमाशंकर चौधरी, पिता–श्री शिवशंकर चौधरी, पता–गोकुल पथ, नाला पर, इन्द्रपुरी, रोड नं– 15, केशरी नगरी, पटना, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | गैर आरक्षित | 20.06.1964 | 30.06.2024 | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा। |
| 14 | श्री शशिकांत शर्मा, पिता–स्व० कृष्णदेव शर्मा, पता– परमार्थ निकेतन, रोड संख्या—3, गयाजी, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | गैर आरक्षित | 22.03.1964 | 31.03.2024 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा। |
| 15 | मो० शाह रजा हुसैन, पिता–मो० इजहार हुसैन, पता–वार्ड संख्या–14, लखौरा, गणेश टाला, लखौरा, पूर्वी चम्पारण, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 04.03.1965 | 31.03.2025 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा। |
| 16 | श्री विजय रजक, पिता–श्री रामप्रसाद रजक, पता– तकिया, मुहल्ला, रजौली, नवादा बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | अनुसूचित जाति | 28.12.1963 | 31.12.2023 | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज। |
| 17 | श्री गोपाल जी प्रसाद, पिता–श्री राम औतार राम, पता–काजी टौला, आरा, भोजपुर, बिहार | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | अनुसूचित जाति | 02.02.1965 | 28.02.2025 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया। |
| 18 | श्री सचिदानंद कुमार, पिता– श्री रामजीवन सिंह, पता–वार्ड संख्या–1 अक्लबिघा,, बेलागंज, गयाजी, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | पिछड़ा वर्ग | 25.12.1963 | 31.12.2023 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया। |
| 19 | श्री जय कुमार राम, पिता–स्व० गणेश राम, पता–पिजरोई पोस्ट– रामासाढ, पिंजरोई, भोजपुर, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | अनुसूचित जाति | 18.01.1964 | 31.01.2024 | सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णियाँ। |
| 20 | श्री शत्रुधन पंडित, पिता–श्री कुनकुन पंडित, पता–वार्ड संख्या–3, पंडित टोला के पास, ग्राम–बरहेता, पोस्ट–विष्णुपुर, थाना–रून्नीसैदपुर, महिन्दवारा, सीतामढ़ी, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 05.01.1965 | 31.01.2025 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा। |
| 21 | श्री रंजन कुमार, पिता–स्व० विदयानंद प्रसाद, पता–वार्ड संख्या–37, नई कॉलोनी, डाक बंगला रोड, बेतिया, पश्चिम चम्पारण, बिहार | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | गैर आरक्षित | 03.06.1964 | 30.06.2024 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा। |

Hall

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | श्री अजय कुमार सिंह, पिता–श्री महेश प्रसाद सिंह, पता–श्री कृष्ण नगर, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | गैर आरक्षित | 25.05.1963 | 31.05.2023 | **सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा।** |
| 23 | श्री अनिल कुमार, पिता–श्री पारस नारायण प्रसाद, पता–वार्ड संख्या–05, नंदरानी निवास के सामने, रघुनाथपुर, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी। | प्रखंड कृषि पदाधिकारी | गैर आरक्षित | 16.11.1964 | 30.11.2024 | **सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।** |

2. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(2)(क)(v) तथा 3(2)(ख)(v) के तहत प्रावधानित अवधि के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए किया जाता है। प्रस्तुत मामलों में अधिकतम निर्धारित उम्र तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनका सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा और कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा –विस्तार सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत संकल्प ज्ञापांक–3978 दिनांक–23.03.2018 की कंडिका–5 के आलोक में विभाग स्तरीय चयन समिति की सहमति से संकल्प के तहत निर्धारित उम्र तक किया जा सकेगा।

3. संविदा नियोजित कर्मियों के संबंध में किसी प्रकार के आरोप/दण्ड की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

4. संविदा नियोजित कर्मियों को देय मासिक मानदेय का निर्धारण संकल्प की कंडिका–(3)(6)(i) तथा (3)(7)(iii) के आलोक में किया जायेगा तथा अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण संकल्प के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

5. कार्यालयादेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर योगदान देना सुनिश्चित करेगें अन्यथा उनका नियोजन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

6. संविदा नियोजन आदेश के आलोक में संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा पद पर योगदान करने की तिथि से संविदा नियोजन एक वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा।

7. संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवा निवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संविदा अवधि में स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियॉ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा। उपर्युक्त जनसवेक को उनके योगदान की तिथि से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

8. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(7)(iii) एवं परिपत्र संख्या–8710 दिनांक–11.08.2021 सह–पठित परिपत्र संख्या–13522 दिनांक–17.11.2021 के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा नियोजित कर्मी के मानदेय का निर्धारण किया जायेगा।

9. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अंतर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

10. इन संविदा नियोजित ईख प्रसार पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध नियोजित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

11. इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

12. इन संविदा नियोजित कर्मियों को कोई वित्तीय दायित्व नहीं सौपा जायेगा। वित्तीय शक्ति दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–11899 दिनांक–06.10.2021 का अनुपालन प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

ह०/–
(अरूण कुमार)
अवर सचिव।

Hall

ज्ञाप संख्या– 01/स्था०राज–337/2025– पटना, दिनांक सितम्बर, 2025

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–16023 दिनांक–27.08.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(अरूण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 01/स्था०राज–337/2025–1380 पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुटंकक/सभी संबंधित पदाधिकारी/बजट शाखा/सभी संबंधित कार्यालय/सभी संबंधित कर्मी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार)
अवर सचिव।

Hall